संख्या-141/2015/5068/26-3-2015

प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

1 प्रमुख सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन

2 प्रमुख सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन

3 समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश

4 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर 2015

विषयः समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा कराये जाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैर्टन पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से संबद्ध किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 114/2015/आर-110 वी0आई0पी0/26-3-2015-246सी0एम0/2015 दिनांक 06-10-2015 के क्रम में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा करायी जानी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रवेश परीक्षा का संचालन/आयोजन कराने की पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति की होगी। प्रवेश परीक्षा के आयोजन से संबंधित कार्यों का निष्पादन जनपदों के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जिन जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है अथवा संचालन किये जाने हैं एवं उस जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी के सहयोग से कराया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्नक में उल्लिखित है।

3- प्रवेश परीक्षा संचालन हेतु धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सीधे संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के संयुक्त बैंक खाते मे उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक समाज कल्याण द्वारा एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश के सहयोग से *राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय प्रवेश परीक्षा- उ0प्र0* हेतु आनलाइन आवेदन की वेबसाइट तथा प्रवेश परीक्षा हेतु साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।

5- शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 द्वारा परिषदीय विद्यालयों के कक्षा-5 6 एवं 7 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को बहु विकल्पीय प्रश्नों (MCQ) का अभ्यास कराये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

6- उपर्युक्तानुसार समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा कराये जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जा रहे हैं। तद्नुसार संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप प्रवेश परीक्षा एवं अन्य व्यवस्थायें सम्पन्न कराने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक यथोक्त</u>

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या-141/2015/5068/26-3-2015तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप वांछित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रवेश परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हों-

1 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक उ0प्र0
2 निदेशक समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग उ0प्र0 लखनऊ
3 निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ
4 निदेशक माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ
5 निदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ
6 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0लखनऊ
7 सचिव/ परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
8 समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश
9 समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उ0प्र0
10 समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक/ समाज कल्याण उ0प्र0
11 समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0
12 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उ0प्र0
13 समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0
14 समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0
15 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास उ0प्र0
16 समस्त प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय समाज कल्याण जनजाति विकास उ0प्र0
17 गार्ड फाइल

आज्ञा से

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या– संख्या : 141/2015/5068 /26–3–2015, दिनांक : 23 नवंबर, 2015 का संलग्नक

समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत :

समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु संचालित यह प्रवेश परीक्षा **"राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय प्रवेश परीक्षा–उ0प्र0"** कहलाएगी।

1. **मुख्य बिन्दु :**

1.1 समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा–6 में प्रवेश परीक्षा निदेशक समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में एक बार जनपद स्तर पर आयोजित की जाएगी।

1.2 प्रथम बार संचालित होने वाले नवसृजित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा 6, कक्षा 7 एवं कक्षा 8 के 70–70 सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही प्रदेश स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी।

1.3 परीक्षा संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला जाएगा, जो प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा।

1.4 **राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 85 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्र से तथा 15 प्रतिशत छात्र शहरी क्षेत्र से चयनित किये जायेंगे। संस्थाओं में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बच्चों को पूर्व की भांति प्रवेश दिया जायेगा।**

1.5 कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35–35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 होगी।

1.6 जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के छात्र उपलब्ध न होने की दशा में (अपरिहार्य परिस्थिति में) अन्य वर्गों, जिसमें 70 प्रतिशत अनु0जनजाति, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति की छात्र/छात्राओं की प्रवेश क्षमता पूर्ण करने हेतु अन्य जनपदों के अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

1.7 जनपद में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (बालक एवं बालिका) की कक्षा 6/7/8 में उपलब्ध कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार, क्षेत्रवार रिक्त सीटों पर प्रवेश परीक्षा हेतु जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा उस सत्र की आवश्यकतानुरूप अपने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में से कक्षा 5/6/7 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से श्रेष्ठता क्रम में अधिकतम 5 छात्र/छात्राओं के नाम (3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 सामान्य वर्ग) खण्ड शिक्षा अधिकारी को **दिनांक 18 दिसंबर, 2015 तक** उपलब्ध करायेंगे।

1.8 खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लाकवार/नगर क्षेत्रवार विकास खण्ड स्तर पर (60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग) अधिकतम 100 छात्रों का प्रवेश परीक्षा हेतु श्रेष्ठता के क्रम में चयन किया जायेगा। चयनित छात्रों का आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरवाकर संबंधित

विद्यालय के प्रधान अध्यापक **विलंबतम दिनांक 15 जनवरी, 2016 तक** खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

1.9 तदुपरांत विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आवेदन पत्रों को खण्ड शिक्षाधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर **विलंबतम दिनांक 20 जनवरी, 2016 तक** भरवाकर अपने डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित किया जायेगा एवं मूल आवेदन पत्र अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। उक्त तिथि तक भरे गये आवेदन–पत्रों के डाटा इंट्री में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि होती है, तो उसे **विलंबतम दिनांक 24 जनवरी, 2016 तक** ऑनलाईन सुधार किया जा सकेगा।

1.10 सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक अधिकारी उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1.11 बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें प्रवेश परीक्षा में आवेदन हेतु निम्न व्यवस्थानुसार अर्ह होंगे :–

क्र0सं0	बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी के अध्ययन की कक्षा	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन की कक्षा
1	5	6
2	6	7
3	7	8

1.12 जनपद लखनऊ, आगरा, कानपुर तथा मुरादाबाद में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वच्छकार समुदाय के छात्रों के लिए संचालित हैं। इनमें स्वीकृत क्षमता के अनुरूप छात्र उपलब्ध नही हो पाते हैं। अतः इन विद्यालयों को पूर्ण क्षमता से चलाने हेतु स्वच्छकार समुदाय के 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

1.13 विमुक्त जाति हेतु संचालित 09 आश्रम पद्धति विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था अन्य आश्रम पद्धति विद्यालयों की भांति होगी तथा विमुक्त जाति के छात्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

1.14 बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

1.15 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की कक्षा 9 की रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जिलाधिकारी के नियंत्रण में मार्गदर्शी सिद्धान्त में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कराई जायेगी।

2. आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रवेश हेतु समय–सारणी–

2.1 निदेशक, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम नवोदय विद्यालय के समरूप निर्धारित किया जायेगा तथा निर्धारित प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। इस विज्ञापन में जनपदवार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या का विवरण लिंगवार, वर्गवार, क्षेत्रवार दिया जायेगा।

2.2 शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए प्रवेश हेतु समय सारणी निम्नानुसार होगी :–

क0सं0	विवरण	दिनांक
1.	प्रवेश परीक्षा से संबंधित शासनादेश तथा दिशा–निर्देशों का वेबसाईट swd.up.nic.in पर प्रकाशन	25 नवंबर, 2015
2.	निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रवेश परीक्षा से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन	30 नवंबर, 2015
3.	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा	07 दिसंबर, 2015

	अधिकारी तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों/नगर शिक्षा अधिकारियों को प्रवेश परीक्षा से संबंधित शासनादेश तथा दिशा–निर्देश की प्रकाशित प्रति विद्यालयों में वितरण हेतु उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	
4.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा श्रेष्ठ चयनित छात्रों के नाम खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	18 दिसंबर, 2015
5.	खण्ड शिक्षा अधिकारियों/नगर शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में अपने क्षेत्र के 100 छात्रों के चयन की अंतिम तिथि	31 दिसंबर, 2015
6.	जनपद स्तरीय समिति द्वारा केन्द्रों का निर्धारण तथा वेबसाईट पर केन्द्रों का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड करने की अंतिम तिथि	31 दिसंबर, 2015
7.	संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों द्वारा चयनित छात्रों के आवेदन–पत्र को पूर्ण कराकर खण्ड शिक्षा अधिकारी /नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	**15 जनवरी, 2016**
8.	**खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनित छात्रों के आवेदन–पत्र को वेबसाईट पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड कराने की अंतिम तिथि**	**20 जनवरी, 2016**
9.	अपलोड किये गये आवेदन–पत्रों में लिपिकीय त्रुटि को सुधारने की अंतिम तिथि	24 जनवरी, 2016
10.	प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की तिथि	01 फरवरी, 2016 से
11.	**प्रवेश–परीक्षा की तिथि**	**14 फरवरी, 2016**
12.	प्रवेश–परीक्षा के परिणाम घोषित/प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	05 मार्च, 2016
13.	आश्रम पद्धति विद्यालय में नामांकन कराने की अंतिम तिथि	31 मार्च, 2016

3. **परीक्षा का आयोजन–**

3.1 समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों मे प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **जनपद स्तरीय समिति** की होगी, जो केन्द्र निर्धारण, प्रवेश परीक्षा का आयोजन एवं इससे जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करेगी। परीक्षा के आयोजन की शुचिता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जनपद स्तरीय समिति की होगी। जनपद स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु यह समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। यह समिति निम्नवत् होगी–

(क) जिलाधिकारी – अध्यक्ष
(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य
(ग) प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य/सचिव
(घ) समस्त उपजिलाधिकारी – सदस्य
(ङ) जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य
(च) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
(छ) जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य/उपसचिव
(ज) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी – सदस्य
(झ) प्रधानाचार्य, सम्बन्धित राजकीय आश्रम पद्धति वि0 – सदस्य
(ञ) समस्त खण्ड विकास अधिकारी – सदस्य

3.2 **परीक्षा केन्द्र का निर्धारण यथासंभव किसी एक स्थान पर ही किया जाय, जहां बच्चों के बैठने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इस संबंध में विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध राजकीय इंटर कॉलेज/हाई स्कूल/जूनियर हाई स्कूल का प्राथमिकता पर चयन किया जाय।** संबंधित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा।

3.3 **परीक्षा का आयोजन दिनांक 14 फरवरी, 2016 को प्रत्येक विकास खण्ड स्तर/नगरीय क्षेत्र में जनपद स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर की जायेगी। परीक्षा का समय प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक होगा।**

3.4 जिन विद्यालयों के छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा हेतु किया गया है, उनके प्रधान अध्यापक की यह जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर अपने विद्यालय के छात्र की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

3.5 प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के माध्यम से कराया जायेगा। प्रश्नपत्रों एवं ओ0एम0आर0 शीट का मुद्रण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा संस्था सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा 02 सीरीज (Series 1 तथा Series 2) में कराया जायेगा। निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रवेश–परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या का विवरण **विलंबतम दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक** उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4. **प्रवेश पत्र का प्रेषण**

4.1 जनपद स्तरीय समिति द्वारा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने डिजिटल सिग्नेचर से केन्द्रों की सूची वेबसाईट पर विलंबतम दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक अपलोड करेंगे।

4.2 खण्ड शिक्षा अधिकारियो/नगर शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र/छात्राओं के प्रवेश पत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट से दिनांक 01 फरवरी, 2016 से डाउनलोड कर **परीक्षा से 10 दिन पूर्व** सम्बन्धित प्रधानाचार्य, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4.3 प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. **प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख–रखाव–**

5.1 सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा सामग्री सम्बन्धित जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **विलंबतम दिनांक 11 फरवरी, 2016 तक** उपलब्ध करायी जायेगी, जहां इसे डबल लॉक में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन डबल लॉक से प्रश्न–पत्र तथा ओ0एम0आर0 सीट सील्ड कवर में जनपद स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राप्त करेंगे तथा अपनी देख–रेख में परीक्षा–केन्द्र पर विलंबतम प्रातः 09.00 बजे तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे तथा केन्द्र व्यवस्थापक को सील्ड कवर प्राप्त करायेंगे। तदुपरांत केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व कक्ष प्रभारी को प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 सीट उपलब्ध करायेंगे।

5.2 परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्रक (एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये) केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में ओ0एम0आर0 फार्म का क्रमांक अंकित किया जायेगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक अनुपस्थिति अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण

संस्थान को उपलब्ध करायेंगे। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन के समय मूल्यांकन एजेंसी को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा जिससे किसी भी त्रुटि की सम्भावना न रहे।

6. **प्रवेश परीक्षा के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया–**

6.1 जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश–पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

6.2 प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित की जायेगी जिस पर उसका रोल नम्बर दर्शाया गया होगा। अभ्यर्थी को अपने लिए आवंटित सीट पर ही बैठना होगा।

6.3 टेस्ट बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बाल प्वांइट पेन से ही भरेंगे।

6.4 अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0) पर अपने विवरण केवल काला/नीला बाल प्वांइट पेन से लिखेंगे। पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0) अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

6.5 कक्ष निरीक्षक द्वारा घोषणा किये जाने पर ही अभ्यर्थी द्वारा टेस्ट बुकलेट को खोला जायेगा।

6.6 परीक्षा के दिन कक्ष निरीक्षक परीक्षा से 45 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को आवंटित कक्ष में परीक्षार्थियों को उनके अनुक्रमांक के अनुसार बैठने हेतु सहायता प्रदान करें तथा उनके प्रवेश पत्र में दिये गये फोटो का मिलान कर लें तथा उक्तवत् सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उन्हें प्रश्न पत्र तथा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) वितरित करें।

6.7 श्यामपट की सहायता से परीक्षार्थियों को समझायें कि उत्तर किस प्रकार भरा जाना है क्योंकि आधे–अधूरे भरे गये गोलों को कम्प्यूटर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है और गोलों को काला/नीला बाल प्वांइट पेन से ही भरा जाना है।

6.8 केन्द व्यवस्थापक तथा कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रश्न–पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक अत्यंत सर्तकता से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही वितरित किए जाने हैं। यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट पर उपलब्ध कराई गयी प्रश्न पुस्तिका तथा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) को परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट के उपरान्त कक्षवार एकत्रित कर लिया जावे और उन्हें पृथक रूप से एकत्रित कर सील कर दिया जाये।

6.9 केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कक्ष निरीक्षकों के नाम सहित तैनाती का कक्षवार विवरण तथा उनको प्रदान किये जा रहे प्रश्न–पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) की क्रमांक संख्या सहित विवरण पंजिका पर हस्ताक्षर प्राप्त करा लेने चाहिए।

6.10 परीक्षा अवधि से पूर्व प्रथम 20 मिनट का उपयोग परीक्षार्थियों को उन्हें आवंटित सीट पर बैठाने, अपना क्रमांक लिखने, प्रवेश पत्र का सत्यापन मे किया जाना है। अगले 20 मिनट का उपयोग उपरोक्त सूचनाएं सही प्रकार से उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) मे भरी गयी हैं और परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर उपस्थित शीट पर हो चुके हैं एवं कक्ष निरीक्षक द्वारा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) पर सही अनुक्रमांक अंकित हो चुका है के सत्यापन हस्ताक्षर के लिए किया जाना है। इसी दौरान परीक्षार्थियों को उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0शीट) तथा प्रश्न–पत्र का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए।

6.11 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों एवं कक्ष निरीक्षकों हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. **परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0) का प्रेषण–**

7.1 परीक्षा एक दिन में आयोजित होगी। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0) को भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड

कराकर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से होगा।

7.2 उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0) दो प्रतियों में होगा जिसमें प्रथम प्रति मूल्यांकन केन्द्र हेतु सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म के लिए सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा। द्वितीय प्रति प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु लाल रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा।

7.3 समस्त उत्तर पत्रकों को परीक्षा समाप्त होने पर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में उसी दिन प्राप्त कराया जायेगा।

7.4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से सभी विकास खण्डों/नगरीय क्षेत्रों के परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त ओ0एम0आर0 के सील्ड पैकेट को पुनः जनपद के कक्षावार पैकेट में सील कर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सील्ड पैकेट पर हस्ताक्षर कर कार्यालय, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद को विलंबतम परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के अंदर सुरक्षित प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. **परीक्षा पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था–**

8.1. राज्य स्तर पर प्रश्नपत्र निर्माण एवं मुद्रण, ओ0एम0आर0 शीट मुद्रण तथा ओ0एम0आर0 शीट मूल्यांकन आदि पर व्यय हेतु धनराशि की आगणित मांग निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग को प्रेषित की जायेगी तथा वांछित धनराशि निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी।

8.2 प्रत्येक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की कुल संख्या के अनुसार प्रति अभ्यर्थी रु0 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अवशेष धनराशि एवं उपभोग प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में परीक्षा संचालन में अतिरिक्त व्यय हो जाता है तो सम्बन्धित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से ऐसी सभी युक्तिसंगत मांगो को संकलित करके संस्तुति सहित निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को संदर्भित किया जायेगा।

8.3 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का व्यय निम्न मदों में किया जायेगा–

1. परीक्षा संबंधी प्रपत्र को जनपद में केन्द्रों तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन व्यय
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आकस्मिक व्यय
3. केन्द्राध्यक्षों का मानदेय
4. परीक्षा केन्द्र का आकस्मिक व्यय
5. कक्ष निरीक्षकों का व्यय
6. पर्यवेक्षक का व्यय
7. उत्तर पत्रकों की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वापसी हेतु वाहन व्यय
8. उत्तर पत्रकों की वापसी में सुरक्षा एवं कर्मचारियों के लिए व्यय
9. कार्य सम्पन्न हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का मानदेय
10. स्टेशनरी/प्रिंटिंग एवं डाक टिकट

11.अधिकारी तथा कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि
12.कम्प्यूटर आपरेटर पर व्यय
13.अतिरिक्त कर्मियों का भुगतान
14.सामग्री रखने हेतु 1 आलमारी
15.आकस्मिक व्यय कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

9. परीक्षा केन्द्र हेतु व्यय आदि की व्यवस्था–

9.1 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के अनुरूप आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापकों को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि में परीक्षा कार्य से जुड़े कर्मियों का मानदेय सम्मिलित नही है।

i. 100 अभ्यर्थी तक – रु0 500/

ii. 300 अभ्यर्थी तक – रु0 1000/

9.2 उपरोक्त आकस्मिक धनराशि से परीक्षा से सम्बन्धित समस्त व्यय हेतु भुगतान नियमानुसार मितव्ययिता के साथ किया जायेगा। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी /नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायेंगे।

10. मानदेय

10.1 परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिको हेतु मानदेय देय होगा। उक्त हेतु धनराशि प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी /नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेगी।

- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –रु0 1500
- उप जिला अधिकारी –रु0 1000
- जिला समाज कल्याण अधिकारी –रु0 1000
- जिला विद्यालय निरीक्षक –रु0 1000
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –रु0 1000
- खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी –रु0 1000
- केन्द्र व्यवस्थापक –रु0 500
- कक्ष निरीक्षक(आवश्यकतानुसार) –रु0 200 (प्रति)
- पर्यवेक्षक
  (जिलाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा
  विभाग तथा जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि) –रु0 1000
- कार्यालय प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों को परीक्षा में लगाये जाने हेतु मानदेय–
  - अधिकारियों को रु0 750 प्रति दिन अधिकतम 02 दिन
  - प्रवक्ता/अध्यापकों को रु0 500 प्रति दिन अधिकतम 02 दिन
  - तृतीय श्रेणी कर्मचारियो (कार्यालय) को रु0 350 प्रति दिन अधिकतम तीन दिन
  - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 200 प्रति दिन अधिकतम तीन दिन

10.2 केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा से सात दिन पूर्व एक अनुमानित आगणन के अनुसार मानदेय की धनराशि की मांग खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से करेंगे। परीक्षा से तीन दिन पूर्व यह धनराशि प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा का प्रारूप

11.1 कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा हेतु–

I. परीक्षा का आधार / स्तर – परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे प्रचलित कक्षा 5 के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम व विषयवस्तु

II. समयावधि – 2:30 घंटा

III. पूर्णांक – 100

IV. परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों की संख्या – एक

V. प्रश्नपत्र में समाहित प्रश्नों की संख्या – 100

VI. प्रश्नों का प्रकार – बहुविकल्पीय प्रश्न

VII. प्रश्नपत्र में सम्मिलित विषय व विषयवार निर्धारित प्रश्नों की संख्या – हिन्दी–20 प्रश्न
गणित–20 प्रश्न
विज्ञान–20 प्रश्न
अंग्रेजी–20 प्रश्न
सामाजिक विषय– 20 प्रश्न

VIII. प्रश्नपत्र का कठिनाई (जटिलता) स्तर –परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित कक्षा 5 के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम व विषयवस्तु

IX. कठिनाई स्तर के अनुसार अधिभार (वेटेज)–

सरल	औसत	कठिन	कुल
20%	60%	20%	100 %
20 अंक	60 अंक	20 अंक	100 अंक
20 प्रश्न	60 प्रश्न	20 प्रश्न	100 प्रश्न

X. उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का अधिभार–

ज्ञानात्मक	बोधात्मक	अनुप्रयोगात्मक	कुल
40%	50%	10%	100 %
40 अंक	50 अंक	10 अंक	100 अंक
40 प्रश्न	50 प्रश्न	10 प्रश्न	100 प्रश्न

XI. नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

11.2 कक्षा 7 में प्रवेश परीक्षा हेतु–

I. परीक्षा का आधार / स्तर – परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित कक्षा 6 के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम व विषयवस्तु

II. समयावधि – 2:30 घंटा

III. पूर्णांक – 100

IV. परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों की संख्या – एक

V. प्रश्नपत्र में समाहित प्रश्नों की संख्या – 100

VI. प्रश्नों का प्रकार – बहुविकल्पीय प्रश्न

VII. प्रश्नपत्र में सम्मिलित विषय व विषयवार निर्धारित प्रश्नों की संख्या – हिन्दी–20 प्रश्न
गणित–20 प्रश्न
विज्ञान–20 प्रश्न
अंग्रेजी–20 प्रश्न
सामाजिक विषय– 20 प्रश्न

VIII. प्रश्नपत्र का कठिनाई (जटिलता) स्तर –परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित कक्षा 6 के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम व विषयवस्तु

IX. कठिनाई स्तर के अनुसार अधिभार (वेटेज)–

सरल	औसत	कठिन	कुल
20%	60%	20%	100 %
20 अंक	60 अंक	20 अंक	100 अंक
20 प्रश्न	60 प्रश्न	20 प्रश्न	100 प्रश्न

X. उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का अधिभार–

ज्ञानात्मक	बोधात्मक	अनुप्रयोगात्मक	कुल
40%	50%	10%	100 %
40 अंक	50 अंक	10 अंक	100 अंक
40 प्रश्न	50 प्रश्न	10 प्रश्न	100 प्रश्न

XI. नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

11.3 कक्षा 8 में प्रवेश परीक्षा हेतु–

I. परीक्षा का आधार / स्तर – परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित कक्षा 7 के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम व विषयवस्तु

II. समयावधि – 2:30 घंटा

III. पूर्णांक – 100

IV. परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों की संख्या – एक

V. प्रश्नपत्र में समाहित प्रश्नों की संख्या – 100

VI. प्रश्नों का प्रकार – बहुविकल्पीय प्रश्न

VII. प्रश्नपत्र में सम्मिलित विषय व विषयवार निर्धारित प्रश्नों की संख्या – हिन्दी– 20 प्रश्न
गणित– 20 प्रश्न
विज्ञान– 20 प्रश्न
अंग्रेजी– 20 प्रश्न
सामाजिक विषय– 20 प्रश्न

VIII. प्रश्नपत्र का कठिनाई (जटिलता) स्तर – परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित कक्षा 7 के विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम व विषयवस्तु

IX. कठिनाई स्तर के अनुसार अधिभार(वेटेज)–

सरल	औसत	कठिन	कुल
20%	60%	20%	100 %
20 अंक	60 अंक	20 अंक	100 अंक
20 प्रश्न	60 प्रश्न	20 प्रश्न	100 प्रश्न

X. उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का अधिभार–

ज्ञानात्मक	बोधात्मक	अनुप्रयोगात्मक	कुल
40%	50%	10%	100 %
40 अंक	50 अंक	10 अंक	100 अंक
40 प्रश्न	50 प्रश्न	10 प्रश्न	100 प्रश्न

XI. नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

12. उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0) का प्रारूप–

12.1 उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0) में निम्नलिखित कॉलम होंगे, जिन्हें केवल काला/नीला बाल प्वाइंट पेन से साफ–साफ और सही–सही भरा जाना है। **पेंसिल के प्रयोग की मनाही है–**

1) अभ्यर्थी का नाम
2) पिता का नाम
3) जनपद का नाम
4) निवास का स्थान (ग्रामीण) (नगरीय)
5) केन्द्र संख्या
6) प्रश्न पुस्तिका क्रमांक
7) परीक्षा केन्द्र का नाम
8) परीक्षार्थी का अनुक्रमांक
9) वर्ग (अनु0जा0) (अनु0जन0जा0) (अ0पि0व0) (सामा0)
10) लिंग (बालक) (बालिका)
11) प्रवेश की कक्षा (6) (7) (8)
12) प्रश्न पुस्तिका सीरीज
13) कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर
14) परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
15) दिनांक

12.2 उत्तर को अंकित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश–

प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिए केवल एक वृत्त को काला/नीला बॉल प्वाइंट पेन से पूरी तरह से गहरा करना होगा। उदाहरण के लिए टेस्ट बुकलेट में प्रश्न संख्या 001 इस प्रकार है–

उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है ?

(A) कानपुर (B) आगरा (C) लखनऊ (D) मेरठ

इस प्रश्न का सही उत्तर (C) है। अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक में प्रश्न सं0 001 ढूंढना होगा तथा वृत्त 3 को दर्शाए गए अनुसार गहरा करना होगा–

001 (A) (B) ● (D)

उपर्युक्त वृत्त को पूरी तरह से गहरा करने के लिए काला/नीला बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करना होगा अर्थात् एक प्रविष्टि के लिए एक वृत्त।

आवेदन पत्र का प्रारूप

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय– प्रवेश परीक्षा सत्र 2016–17
(आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि .....है)

1. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के Capital Letters में).....
2. लिंग(बालक / बालिका).....
3. वर्ग(अनु०जा० / अनु०जन०जा० / अ०पि०व० / सा०).....
4. निवास स्थान(ग्रामीण / नगरीय).....
5. जन्मतिथि अंको में. | | | | | | | | |
   शब्दों में.....
6. माता का नाम (अंग्रेजी के Capital Letters में).....
7. पिता का नाम (अंग्रेजी के Capital Letters में).....
8. अभिभावक का नाम (अंग्रेजी के Capital Letters में).....
   (माता / पिता के न होने की स्थिति में)
9. अभिभावक का अभ्यर्थी से सम्बन्ध .....
10. वर्तमान पता.....
    .....पिन कोड.....
11. स्थाई पता.....
    .....पिन कोड.....
12. मोबाइल नं० .....
13. अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय का विवरण:
    - 13.1 विद्यालय का नाम.....
    - 13.2 विद्यालय में प्रवेश का माह एवं वर्ष .....
    - 13.3 वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा .....
    - 13.4 ग्राम / नगर का नाम जहाँ विद्यालय स्थित है.....
    - 13.5 विकास खण्ड का नाम.....
    - 13.6 जनपद का नाम.....
    - 13.7 विद्यालय का स्थान (ग्रामीण / नगरीय).....

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं जो अध्ययनरत परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।

आवेदक/अभिभावक द्वारा किया जाने वाला घोषणापत्र

मैं .....घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी सूचनायें मेरी जानकारी में हैं तथा सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं उपरोक्त दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथ्य छिपा नहीं रहा/रही हूँ। मैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश की पूर्ण अर्हता रखता हूँ/रखती हूँ। यदि मैं प्रवेश हेतु चयनित होता हूँ/होती हूँ तो मैं संदर्भित अभिलेख प्रवेश के समय मूलरूप में प्रस्तुत करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई तथ्य प्रवेश के उपरान्त गलत पाया जाय तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाय।

आवेदक के हस्ताक्षर.....माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.'..... माता/पिता/अभिभावक का नाम .....

स्थान..... दिनांक .....

आवेदक के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....पुत्र/पुत्री (श्री/श्रीमती).....
.....के आवेदन पत्र में भरा गया विवरण विद्यालय अभिलेखों के अनुसार सही पाया गया।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर .....

कार्यालय मुहर

स्थान.....

दिनांक .....

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के प्रयोगार्थ

जनपद	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	परीक्षा केन्द्र

जाँचकर्ता का नाम..... ख0शि0अ0/न0शि0अ0 के हस्ताक्षर.....

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर..... कार्यालय मुहर

स्थान.....

दिनांक.....

प्रवेश पत्र का प्रारूप

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–प्रवेश परीक्षा 2016–17

प्रवेश पत्र

जनपद	ब्लाक / नगर क्षेत्र	केन्द्र का कोड	रोल नं0	परीक्षा की तिथि एवं समय

परीक्षा केन्द्र का नाम.....

1. अभ्यर्थी का नाम (Capital Letters में).....
2. माता का नाम(Capital Letters में).....
3. पिता का नाम(Capital Letters में).....
4. वर्तमान पत्राचार का पता.....
   .....पिन कोड.....
5. मोबाइल नं0 .....
6. जन्म तिथि अंको में. | | | | | | | | |
   शब्दों में.....
7. लिंग(बालक / बालिका).....
8. वर्ग(अनु0जा0 / अनु0जन0जा0 / अ0पि0व0 / सा0).....
9. निवास स्थान(ग्रामीण / नगरीय).....
10. अध्ययनरत कक्षा .....
11. अध्ययनरत विद्यालय का नाम.....
    (ग्राम / नगर).....(जनपद).....

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाए जो अध्ययनरत परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

फोटो प्रमाणित करने वाले प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर मुहर सहित

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–प्रवेश परीक्षा सत्र 2016–17

ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक नमूना

प्रश्न पुस्तिका क्रमांक

ओ0एम0आर0 क्रमांक संख्या

परीक्षार्थी का नाम

पिता का नाम

जनपद का नाम

केन्द्र का नाम

दिनांक

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

केन्द्र संख्या

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

वर्ग

SC	(A)	GEN	(C)
ST	(B)	OBC	(D)

प्रश्न पुस्तिका सीरीज

(1)	(2)

निवास स्थान

ग्रामीण	नगरीय
(1)	(2)

प्रवेश की कक्षा

6	(1)	8	(3)
7	(2)	9	(4)

लिंग

बालक	बालिका
(1)	(2)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर

उत्तर (Answer)

प्र0 सं0	उत्तर			
1	(A)	(B)	(C)	(D)
2	(A)	(B)	(C)	(D)
3	(A)	(B)	(C)	(D)
4	(A)	(B)	(C)	(D)
5	(A)	(B)	(C)	(D)
6	(A)	(B)	(C)	(D)
7	(A)	(B)	(C)	(D)
8	(A)	(B)	(C)	(D)
9	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)
21	(A)	(B)	(C)	(D)
22	(A)	(B)	(C)	(D)
23	(A)	(B)	(C)	(D)
24	(A)	(B)	(C)	(D)
25	(A)	(B)	(C)	(D)

प्र0 सं0	उत्तर			
26	(A)	(B)	(C)	(D)
27	(A)	(B)	(C)	(D)
28	(A)	(B)	(C)	(D)
29	(A)	(B)	(C)	(D)
30	(A)	(B)	(C)	(D)
31	(A)	(B)	(C)	(D)
32	(A)	(B)	(C)	(D)
33	(A)	(B)	(C)	(D)
34	(A)	(B)	(C)	(D)
35	(A)	(B)	(C)	(D)
36	(A)	(B)	(C)	(D)
37	(A)	(B)	(C)	(D)
38	(A)	(B)	(C)	(D)
39	(A)	(B)	(C)	(D)
40	(A)	(B)	(C)	(D)
41	(A)	(B)	(C)	(D)
42	(A)	(B)	(C)	(D)
43	(A)	(B)	(C)	(D)
44	(A)	(B)	(C)	(D)
45	(A)	(B)	(C)	(D)
46	(A)	(B)	(C)	(D)
47	(A)	(B)	(C)	(D)
48	(A)	(B)	(C)	(D)
49	(A)	(B)	(C)	(D)
50	(A)	(B)	(C)	(D)

प्र0 सं0	उत्तर			
51	(A)	(B)	(C)	(D)
52	(A)	(B)	(C)	(D)
53	(A)	(B)	(C)	(D)
54	(A)	(B)	(C)	(D)
55	(A)	(B)	(C)	(D)
56	(A)	(B)	(C)	(D)
57	(A)	(B)	(C)	(D)
58	(A)	(B)	(C)	(D)
59	(A)	(B)	(C)	(D)
60	(A)	(B)	(C)	(D)
61	(A)	(B)	(C)	(D)
62	(A)	(B)	(C)	(D)
63	(A)	(B)	(C)	(D)
64	(A)	(B)	(C)	(D)
65	(A)	(B)	(C)	(D)
66	(A)	(B)	(C)	(D)
67	(A)	(B)	(C)	(D)
68	(A)	(B)	(C)	(D)
69	(A)	(B)	(C)	(D)
70	(A)	(B)	(C)	(D)
71	(A)	(B)	(C)	(D)
72	(A)	(B)	(C)	(D)
73	(A)	(B)	(C)	(D)
74	(A)	(B)	(C)	(D)
75	(A)	(B)	(C)	(D)

प्र0 सं0	उत्तर			
76	(A)	(B)	(C)	(D)
77	(A)	(B)	(C)	(D)
78	(A)	(B)	(C)	(D)
79	(A)	(B)	(C)	(D)
80	(A)	(B)	(C)	(D)
81	(A)	(B)	(C)	(D)
82	(A)	(B)	(C)	(D)
83	(A)	(B)	(C)	(D)
84	(A)	(B)	(C)	(D)
85	(A)	(B)	(C)	(D)
86	(A)	(B)	(C)	(D)
87	(A)	(B)	(C)	(D)
88	(A)	(B)	(C)	(D)
89	(A)	(B)	(C)	(D)
90	(A)	(B)	(C)	(D)
91	(A)	(B)	(C)	(D)
92	(A)	(B)	(C)	(D)
93	(A)	(B)	(C)	(D)
94	(A)	(B)	(C)	(D)
95	(A)	(B)	(C)	(D)
96	(A)	(B)	(C)	(D)
97	(A)	(B)	(C)	(D)
98	(A)	(B)	(C)	(D)
99	(A)	(B)	(C)	(D)
100	(A)	(B)	(C)	(D)

बारकोड

(ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर मुद्रण हेतु)

ओ0एम0आर उत्तर पत्रक भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा अतः ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को भरते समय निम्न सावधानियाँ ध्यान में रखें–

1. परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, अपना नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक व केन्द्र का नाम आदि विवरण इस उत्तरपत्रक के निर्धारित बॉक्सों में सावधानीपूर्वक अंकित करें। दूसरा उत्तर पत्रक नहीं दिया जायेगा।
2. वृत्तों को काला करने के लिये काला/नीला बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें।
3. प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प A, B, C तथा D दिये गये हैं जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने दिये गये चार वृत्तों में से केवल उस वृत्त को पूर्णतः काला करें जो आपके अनुसार उस प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प है।
4. केवल एक ही वृत्त को काला करें। एक से अधिक वृत्तों को काला करने पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा।
5. बारकोड को क्षति नहीं पहुँचाए। बारकोड को क्षति पहुँचाने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन करना सम्भव नही होगा।
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाये और उस पर कोई अन्य निशान भी न लगायें। उत्तर पत्रक पर किसी प्रकार का रफ कार्य/कच्चा कार्य न करें।

उदाहरण:

प्रश्न 1. 'बिल्ली चुपके से दूध पी गई'– इस वाक्य का क्रियाविशेषण शब्द है–

(A) बिल्ली (B) चुपके से (C) दूध (D) पी गई

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है ?

(A) कानपुर (B) आगरा (C) लखनऊ (D) मेरठ

प्र0 सं0	उत्तर			
1	(A)	●	(C)	(D)
2	(A)	(B)	●	(D)

प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ का प्रारूप

प्रवेश की कक्षा–.....

मुद्रित पृष्ठों की संख्या ..... प्रश्न पुस्तिका क्रमांक.....

प्रश्न पुस्तिका सीरीज–1/2

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय– प्रवेश परीक्षा 2016–17

1. अनुक्रमांकः ☐☐☐☐☐
2. परीक्षार्थी का नाम.....
3. पिता का नाम.....
4. विद्यालय का नाम एवं पता जहाँ परीक्षार्थी कक्षा ..... में अध्ययनरत है.....

   .....

   .....
5. परीक्षा केन्द्र का नाम.....

   .....
6. कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर .....

समयः 2 घण्टे 30 मिनट **पूर्णांकः 100**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. अपना नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम दिए गए स्थान में लिखें।
2. घंटी बजने पर ही प्रश्नों को हल करना शुरू करें
3. इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं।
4. परीक्षा की अवधि 2 घण्टे 30 मिनट है और पूर्णांक 100 है।
5. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प (A) (B) (C) तथा (D) दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक विकल्प ही सही है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने दिए गए चार गोलों में से केवल उस गोले को पूर्णतः काला करें जो आपके अनुसार सही विकल्प है।
6. एक से अधिक गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा।
7. कच्चा कार्य करने के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली पेज दिया गया है।
8. यदि परीक्षार्थी किसी अनुचित साधन का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो उसे अयोग्य ठहराया जायेगा और उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

कक्षावार नमूना प्रश्न

आदर्श प्रश्न (सैम्पल) कक्षा –6 हेतु

हिन्दी

1. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी का सम्बन्ध किस कहानी से है–
   (A) ईदगाह (B) पूस की रात
   (C) पंच परमेश्वर (D) रेवती का संगीत प्रेमी पौधा
2. 'अग्नि' का पर्यायवाची शब्द है–
   (A) अनल (B) अनिल
   (C) समीर (D) तुरंग

गणित

3. नीचे दी गई संख्याओं में कौन एक विषय भिन्न है–
   (A) 5/3 (B) 1/2
   (C) 1/4 (D) 4/8
4. दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या होगी–
   (A) 57 (B) 68
   (C) 73 (D) 85

विज्ञान

5. आग बुझाने के लिए आवश्यक गैस है–
   (A) नाईट्रोजन (B) कार्बन डाई ऑक्साइड
   (ग) ऑक्सीजन (D) हाइड्रोजन
6. विटामिन 'ए' की कमी से होने वाला रोग है–
   (A) स्कर्वी (B) बेरी–बेरी
   (C) रतौंधी (D) रिकेट्स

अंग्रेजी

7. A bird that falks-
   (A) Peacock (B) Parrot
   (C) Eagle (D) Kite
8. I bought a gift ..... my father-
   (A) of (B) for
   (C) by (D) with

सामाजिक विषय

9. पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है–
   (A) 5 (B) 6
   (C) 7 (D) 9
10. स्वर्ण मन्दिर कहाँ पर स्थित है–
   (A) दिल्ली (B) अमृतसर
   (C) लखनऊ (D) कोलकाता

आदर्श प्रश्न (सैम्पल) कक्षा–7 हेतु

हिन्दी

1. बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे–
   (A) आलोचना (B) अनुशासन
   (C) कठोरता (D) प्रेम और सहानुभूति
2. 'आखेट' का समानार्थी शब्द है–
   (A) बहेलिया (B) पकड़ना
   (C) शिकार (D) अपहरण

गणित

3. 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी–
   (A) 1000 (B) 9998
   (C) 10000 (D) 9990
4. 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं–
   (A) 81 और 83 (B) 83 और 87
   (C) 81 और 89 (D) 83 और 89

विज्ञान

5. बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है–
   (A) बीनकर (B) चुम्बकीय पृथक्करण द्वारा
   (C) फटककर (D) छानकर
6. समय का मानक मात्रक है–
   (A) घण्टा (B) सेकेण्ड
   (C) दिन (D) मिनट

अंग्रेजी

7. The Ganga Sagar is where the Ganga joins-
   (A) The Yamuna (B) The Sea
   (C) The Saraswati (D) None of these

सामाजिक विषय

8 बौद्ध धर्म के संस्थापक थे–
   (A) महावीर स्वामी (B) ऋषभदेव
   (C) महात्मा बुद्ध (D) पार्श्वनाथ
9 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है–
   (A) उत्तर प्रदेश (B) मध्य प्रदेश
   (C) महाराष्ट्र (D) गुजरात
10. जन–गण–मन के रचयिता हैं–
   (A) बंकिमचन्द्र चटर्जी (B) रवीन्द्रनाथ टैगोर
   (C) सुभद्रा कुमारी चौहान (D) महादेवी वर्मा

आदर्श प्रश्न (सैम्पल) कक्षा–8 हेतु

हिन्दी

1. 'उपकार को मानने वाला' वाक्यांश के लिए एक शब्द है–
   (A) कृतज्ञ (B) कृतघ्न
   (C) उपकारी (D) परोपकारी
2. 'कन्दुक' शब्द का अर्थ है–
   (A) फूल (B) गेंद
   (C) भाला (D) कुदाल

गणित

3. 3125 का घातीय संकेतन है–
   (A) 5^5 (B) 5^2
   (C) 5^3 (D) 5^4
4. चतुर्भुज के सभी अन्तः कोणों का योगफल होता है–
   (A) 280^0 (B) 360^0
   (C) 160^0 (D) 180^0

विज्ञान

5. कार्य करने की क्षमता को कहते हैं–
   (A) बल (B) शक्ति
   (C) ऊर्जा (D) चाल
6. बर्फ का ताप होता हैं–
   (A) 100^0C (B) 38^0C
   (C) 0^0C (D) 15^0C

अंग्रेजी

7. Choose the opposite of word 'Peacock'-
   (A) ant (B) parrot
   (C) sparrow (D) peahen

सामाजिक विषय

8. पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था–
   (A) 1191 ई0 (B) 1192 ई0
   (C) 1391 ई0 (D) 1526 ई0
9. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है–
   (A) पहला (B) दूसरा
   (C) पाँचवां (D) सातवां
10. भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं–
   (A) श्रीमती प्रतिभा पाटिल (B) श्री प्रणव मुखर्जी
   (C) ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (D) श्रीमती सुमित्रा महाजन

आदर्श प्रश्न (सैम्पल) कक्षा–9 हेतु

हिन्दी

1. 'रामचरित मानस' किसकी रचना है–
   (A) सूरदास (B) मीराबाई
   (C) केशवदास (D) तुलसीदास
2. 'सम्भ्रान्त' शब्द का सही अर्थ है–
   (A) सम्मानित (B) भ्रमित
   (C) सम्पन्न (D) विनम्र

गणित

3. 27/64 का घनमूल है–
   (A) 2/3 (B) 3/4
   (C) 3/8 (D) 9/16
4. यदि समीकरण $x^2-4x+k=0$ का एक मूल 6 हो, तो k का मान होगा–
   (A) 12 (B) 2
   (C) -2 (D) -12

विज्ञान

5. कार्बन का क्रिस्ट लीय रूप है–
   (A) जन्तु चारकोल (B) ग्रेफाइट
   (C) कोयला (D) लकड़ी का चारकोल
6. बॉक्साइट किसका अयस्क है–
   (A) सोडियम (B) लोहा
   (C) एल्यूमीनियम (D) कॉपर

अंग्रेजी

7. Who is called the 'missile man of india'-
   (A) Sardar Vallabh bhai Patel (B) Rabindra Nath Tagore
   (C) Jawaharlal Nerhu (D) A.P.J. Abdul Kalam

सामाजिक विषय

8. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी–
   (A) स्वामी विवेकानन्द (B) दयानन्द सरस्वती
   (C) राजा राम मोहन राय (D) राम कृष्ण परमहंस
9. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व शांति हेतु किस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई?
   (A) संयुक्त राष्ट्र संघ (B) राष्ट्र संघ
   (C) सार्क (D) राष्ट्रमण्डल
10. भारत में हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? –
   (A) पन्ना (B) कोलार
   (C) भिलाई (D) खेतड़ी

जनपदवार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की सूची
(प्रवेशित किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सहित)

समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्त सीटों का जनपदवार, विद्यालयवार (कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार, क्षेत्रवार) संख्यात्मक विवरण –

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना (बालक)

कुल प्रवेश क्षमता 70

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6 (कुल रिक्तियां 30)					
			ग्रामीण (25)			नगरीय (5)		
			अनु0	पि0	सा0	अनु0	पि0	सा0
		(विद्यालयवार प्रवेश हेतु रिक्तियां)	15	6	4	3	1	1
1	मैनपुरी	आ0प0वि0, भोगांव						
2	फिरोजाबाद	आ0प0वि0, फिरोजाबाद						
3	फिरोजाबाद	आ0प0वि0, पैढ़त						
4	आजमगढ	आ0प0वि0, आजमगढ़						
5	बलिया	आ0प0वि0, रसड़ा						
6	इलाहाबाद	आ0प0वि0, सुरवल साहनी						
7	इलाहाबाद	आ0प0वि0, कोरांव						
8	इलाहाबाद	आ0प0वि0, करछना						
9	कौशाम्बी	आ0प0वि0, करारी						
10	प्रतापगढ़	आ0प0वि0, प्रतापगढ़						
11	इटावा	आ0प0वि0, कांधनी						
12	इटावा	आ0प0वि0, नगला हीरा लाल						
13	गोरखपुर	आ0प0वि0, पतरागोला						
14	चित्रकूट	आ0प0वि0, मानिकपुर						
15	चित्रकूट	आ0प0वि0, कलछिया						
16	बांदा	आ0प0वि0, बबेरू, बांदा						
17	बांदा	आ0प0वि0, हरदौली						
18	महोबा	आ0प0वि0, चरखारी						
19	जालौन	आ0प0वि0, कदौरा						
20	झांसी	आ0प0वि0, कोछाभावंर						
21	झांसी	आ0प0वि0, दुनारा						
22	ललितपुर	आ0प0वि0, तालबेहट						
23	गोण्डा	आ0प0वि0, सकरौरा						
24	फैजाबाद	आ0प0वि0, मसौधा						
25	फैजाबाद	आ0प0वि0, बरसेण्डी						

26	बाराबंकी	आ0प0वि0, तीरगांव						
27	सुल्तानपुर	आ0प0वि0, कादीपुर						
28	बरेली	आ0प0वि0, भोजीपुरा						
29	बस्ती	आ0प0वि0, जोगिया टपपा						
30	सम्भल	आ0प0वि0, सिंघावली						
31	बुलन्दशहर	आ0प0वि0, बदनौरा						
32	मेरठ	आ0प0वि0, हस्तिनापुर						
33	रायबरेली	आ0प0वि0, समौधा						
34	रायबरेली	आ0प0वि0, सलौन						
35	हरदोई	आ0प0वि0, कछौना						
36	हरदोई	आ0प0वि0, छटिया धनवार						
37	चन्दौली	आ0प0वि0, चकिया						
38	वाराणसी	आ0प0वि0, तरसड़ा						
39	मिर्जापुर	आ0प0वि0, परसिया						
40	सोनभद्र	आ0प0वि0, दुद्धी						
41	सोनभद्र	आ0प0वि0, घोरावल						
42	सोनभद्र	आ0प0वि0, ओबरा						
43	सहारनपुर	आ0प0वि0, डिढोली						

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना (बालक)
कुल प्रवेश क्षमता 70 (विमुक्ति जाति हेतु)

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6 (कुल रिक्तियां 30)					
			ग्रामीण (25)			नगरीय (5)		
			अनु0	पि0	सा0	अनु0	पि0	सा0
		(विद्यालयवार प्रवेश हेतु रिक्तियां)	15	6	4	3	1	1
1	फर्रूखाबाद	आ0प0वि0, फर्रूखाबाद						
2	गोरखपुर	आ0प0वि0, चौरीचौरा						
3	गोण्डा	आ0प0वि0, गोण्डा						
4	रामपुर	आ0प0वि0, रामपुर						
5	सुल्तानपुर	आ0प0वि0, हसनपुर						
6	वाराणसी	आ0प0वि0, चन्दापुर						
7	वाराणसी	आ0प0वि0, सारनाथ						

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना (बालक)
कुल प्रवेश क्षमता 70 (स्वच्छकार समुदाय हेतु)

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6 (कुल रिक्तियां 30)	
			स्वच्छ0	अनु0/जनजाति
		(विद्यालयवार प्रवेश हेतु रिक्तियां)	18	12
1	आगरा	आ0प0वि0, स्वच्छकार, इटौरा		
2	लखनऊ	आ0प0वि0, स्वच्छकार		
3	कानपुर नगर	आ0प0वि0, कल्याणपुर		
4	मुरादाबाद	आ0प0वि0, स्वच्छकार, उन्नयन बस्ती		

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6,7 एवं 8 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना (नवीन बालक)

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6,7 व 8 में प्रति कक्षा 70 छात्रों के प्रवेश हेतु आरक्षण विवरण					
			ग्रामीण (60)			नगरीय (10)		
			अनु0	पि0	सा0	अनु0	पि0	सा0
		(विद्यालयवार प्रवेश क्षमता)	36	15	9	6	3	1
1	कौशाम्बी	आ0प0वि0, ककौड़ा						
2	कौशाम्बी	आ0प0वि0, बरैसा मंझनपुर						
3	फतेहपुर	आ0प0वि0, खासमऊ						
4	बरेली	आ0प0वि0, आवंला						
5	उन्नाव	आ0प0वि0, न्योतनी						
6	चन्दौली	आ0प0वि0, नौगढ़						

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना (बालिका)

कुल प्रवेश क्षमता 70

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6 (कुल रिक्तियां 30)					
			ग्रामीण (25)			नगरीय (5)		
			अनु0	पि0	सा0	अनु0	पि0	सा0
		(विद्यालयवार प्रवेश क्षमता)	15	6	4	3	1	1
1	कौशाम्बी	आ0प0वि0, भरसवां						
2	कौशाम्बी	आ0प0वि0, कोईलहा						
3	कुशीनगर	आ0प0वि0, सिरसिया						
4	चित्रकूट	आ0प0वि0, सरघुवा						
5	गोण्डा	आ0प0वि0, विशम्भरपुर						
6	बलरामपुर	आ0प0वि0, सेखुईकला						
7	बहराइच	आ0प0वि0, रिसिया						
8	श्रावस्ती	आ0प0वि0, भिन्गा						
9	अम्बेडकरनगर	आ0प0वि0, अम्बेडकरनगर						
10	बाराबंकी	आ0प0वि0, सोनौली						
11	अमेठी	आ0प0वि0, असौदा						
12	बदायू	आ0प0वि0, बदांयू						
13	संतकबीरनगर	आ0प0वि0, संतकबीरनगर						
14	सिद्धार्थनगर	आ0प0वि0, धनगढ़िया						
15	बिजनौर	आ0प0वि0, धौलागढ़						
16	खीरी	आ0प0वि0, साहबगंज						
17	रायबरेली	आ0प0वि0, राइन						
18	सीतापुर	आ0प0वि0, रहिमाबाद						
19	मिर्जापुर	आ0प0वि0, मड़िहान						
20	सहारनपुर	आ0प0वि0, पुवांरका						

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना (बालिका)
कुल प्रवेश क्षमता 70 (विमुक्ति जाति हेतु)

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6 (कुल रिक्तियां 30)					
			ग्रामीण (25)			नगरीय (5)		
			अनु0	पि0	सा0	अनु0	पि0	सा0
		(विद्यालयवार प्रवेश क्षमता)	15	6	4	3	1	1
1	लखनऊ	आ0प0वि0, मोहानरोड						
2	सोनभद्र	आ0प0वि0, रार्बटसगंज						

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6,7 एवं 8 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना
(नवीन बालिका)

क0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा 6,7 व 8 में प्रति कक्षा 70 छात्रों के प्रवेश हेतु आरक्षण विवरण					
			ग्रामीण (60)			नगरीय (10)		
			अनु0	पि0	सा0	अनु0	पि0	सा0
		(विद्यालयवार प्रवेश क्षमता)	36	15	9	6	3	1
1	आजमगढ	आ0प0वि0, मेहनगर						
2	इलाहाबाद	आ0प0वि0, कौडिहार						
3	जौनपुर	आ0प0वि0, ग्यासपुर						

अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

शैक्षिक सत्र 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु रिक्तियों की सूचना
कुल प्रवेश क्षमता 70
(अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम व पूर्ण पता (विद्यालयवार प्रवेश हेतु रिक्तियां)	कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आरक्षण का विवरण अनुसूचित जनजाति
1	लखीमपुर	आ0प0वि0, छाउछ (बालक)	70
2	लखीमपुर	आ0प0वि0, बेलापरसुआ (बालक)	50
3	लखीमपुर	आ0प0वि0, चन्दन चौकी खीरी (बालिका)	70
4	बलरामपुर	आ0प0वि0, बालापुर (बालक)	70
5	बलरामपुर	आ0प0वि0, विशुनपुर विश्राम (बालिका)	70
6	श्रावस्ती	आ0प0वि0, सिरसिया (बालक)	70
7	महाराजगंज	आ0प0वि0, नौतनवां (बालक)	70
8	बिजनौर	आ0प0वि0, नजीबाबाद (बालक)	70
9	बहराइच	आ0प0वि0, बिछिया (बालिका)	40

नोट :– अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध सभी छात्रों को रिक्तियों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।